

[करार के रूप में मोहर लगाये जाने हेतु, सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए]

अनुपूरक सुरक्षित जमा लॉकर करार

यह अनुपूरक सुरक्षित जमा लॉकर करार भारतीय स्टेट बैंक और उसके ग्राहक के बीच अनुसूची ("अनुपूरक करार") में उल्लिखित अनुसार किया जाता है।

अभिव्यक्ति "बैंक" में इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिनी शामिल होंगे; तथा अभिव्यक्ति "ग्राहक" शब्द में शामिल होंगे. जब ग्राहक निम्नानुसार होंगे:

- (क) एक या एक से अधिक व्यक्ति, उनसे/संबंधित उत्तराधिकारी(यों), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों) और कानूनी प्रतिनिधि(यों);
- (ख) स्वामित्व फर्म, मालिक और उसके उत्तराधिकारी(यों), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों) और कानूनी प्रतिनिधि(ओं);
- (ग) एक साझेदारी फर्म, ऐसी फर्म और उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उनमें से उत्तरजीवी या बचे हुए लोग और उत्तराधिकारी (ओं), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), उनमें से प्रत्येक के कानूनी प्रतिनिधि(यों) ;
- (घ) एक हिंदू अविभक्त परिवार (एचयुएफ), उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी(यों), कानूनी उत्तराधिकारी(यों), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों) और कानूनी प्रतिनिधि (यों); और
- (ङ) एक लिमिटेड कंपनी, उसके उत्तराधिकारी।

(बैंक, और प्रत्येक ग्राहक को "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है)

जबकि:

- (क) सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया है;
- (ख) बैंक ग्राहक को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है; और
- (ग) पार्टियों ने इस संबंध में उनके बीच सहमति निर्धारित करने के लिए दिनांक _____ को ('मूल करार') और दिनांक _____ को ('संशोधन करार') निष्पादित करने का निर्णय किया था। (मूल करार और संशोधन करार दोनों को इसके बाद 'करार' के रूप में संदर्भित किया गया है)।
- (घ) दोनों पार्टियां अब इस अनुपूरक करार द्वारा मूल करार और संशोधन करार करने के इच्छुक हैं।

इसलिए अब निम्नानुसार यह अनुपूरक करार किया गया है

1. संशोधन समझौते में निम्नानुसार जोड़ा गया नया खंड:

1. क ग्राहक के अधिकार

- (क) इस करार की शर्तों के अधीन ग्राहक को सामान रखने के लिए लॉकर का उपयोग करने

का अधिकार होगा और ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा उचित देखभाल की अपेक्षा रहेगी, ऐसा करने में बैंक की विफलता की स्थिति में लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर उपलब्ध उपायों का उपयोग किया जा सकेगा।

(ख) बैंक लागू कानून और विनियमों के तहत ग्राहक को समय-समय पर उपलब्ध अधिकारों को स्वीकार करता है।

2. संशोधन करार के खंड 4.1 में हटाया गया

संशोधन करार के खंड 4.1 में "अग्नि" शब्द हटाया गया है और संशोधन करार का उक्त खंड 4.1 निम्नानुसार पढ़ा जाए:

4.1 लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षति की स्थिति में बैंक किसी भी मामले में, चाहे वह बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक अशांति अथवा दंगा या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या इसी तरह के किसी अन्य कारणों की स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

3. यह अनुपूरक करार मूल करार निष्पादित करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

4. यह अनुपूरक करार मूल करार का अनुपूरक है और करारों का अपवाद नहीं है। इसे करारों के अभिन्न भाग के रूप में पढ़ा जाए।

5. इस अनुपूरक करार द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किए जाने के अलावा, करारों की अन्य सभी शर्तें पूरी तरह से वैध, बाध्यकारी और निर्वाह बनी रहेंगी।

6. कानून और अधिकार क्षेत्र

यह करार भारतीय कानून के अधीन किया गया है और इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामले उस स्थान पर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जहां बैंक शाखा स्थित है या जिस बैंक शाखा के अधिकार क्षेत्र में आता है।

-कृपया पृष्ठ पलटिए-

अनुसूची

इस करार के पक्षकार		
1(क)	बैंक	भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत निगमित, और शाखा के माध्यम से काम कर रहा है जो निम्नानुसार वर्णित है :
	शाखा का नाम और पता	
(ख)	ग्राहक	नाम और पता :
		1 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
		2 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
		3 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
2	लॉकर का विवरण	लॉकर नंबर: चाबी संख्या :
		लॉकर का आकार:
3	वार्षिक लॉकर किराया	रुपये (आंकड़ों में): _____ रुपये (शब्दों में): _____ (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) (अग्रिम रूप से देय)
4	अन्य शुल्क	क) एक बारगी पंजीकरण शुल्क ख) लॉकर विजिट चार्ज घ) लॉकर किराया अतिदेय शुल्क

5	लाइसेंस की अवधि	इस करार की तारीख से 1 (एक) वर्ष जो ऐसे एक वर्ष के अंत में स्वचालित रूप से 1 (एक) वर्ष की अगली अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जब तक कि इसकी शर्तें समाप्त न हो जाएं।
6	ऑपरेटिंग मेनडेट	
7	कोई अन्य शर्त	

गवाह के रूप में, पार्टियों ने यह अनुपूरक करार निष्पादित किया है

ग्राहक के लिए			
	1	2	3
हस्ताक्षर			
नाम			
पदनाम/ क्षमता में *			
स्थान:			
तिथि:			

(*ऐसे मामले में जहां ग्राहक गैर-व्यक्तिगत है/व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहा है)

बैंक के लिए [बैंक का नाम / शाखा का नाम]:
हस्ताक्षर:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
पदनाम :
स्थान:
दिनांक: